संख्या–1417(2)/26–3–2010–10(28)/99

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ :दिनांक 26 अप्रैल, 2010

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–80 में आयोजनेतर पक्ष की योजनाओं हेतु किये गये आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष प्रथम छमाही के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–01–03/स0क0/लेखा–बजट/स्वीकृति/2010–11, दिनांक 3–4–2010 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या–1417/26–3–2010–10(28)/99, दिनांक 17–4–2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010–2011 के बजट की समस्त अनुदानों की मांगें, जैसाकि विधान सभा में प्रस्तुत की गई, स्वीकृत हों चुकी हैं तथा अनुच्छेद–204 के अनुसार विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान एवं राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियों के राज्य की समेकित निधि में से विनियोग का उपबन्ध उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2010 (अधिनियम संख्या–6 सन 2010) से प्राधिकृत हो चुका है। अतः वित्तीय वर्ष 2010–2011 के अनुदानों/भारित विनियोगों को अब बजट का अन्तिम रूप समझा जाय। इस संदर्भ में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 का कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–951/ दस–2010–231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के आयोजनेतर पक्ष के लेखाशीर्षक '2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–'' व '' 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण'' के अंतर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जानें हेतु संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में प्रथम छमाही के खर्चो को वहन करने के लिए रू0 5,64,62,78,000/– (रूपये पांच अरब चौसठ करोड़ बासठ लाख अट्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त/स्वीकृत कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1– 951/दस– 2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 में दिये गये दिशा निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइन्सेसियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय–समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन

सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा–88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा एवं स्वीकृत/ अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(2) अनुदान एवं भारित विनियोगों के अंतर्गत होने वाले संभावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

(3) विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर उपलब्ध हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के लिए भी स्वीकृत धनराशि का आवंटन एवं उसका आहरण संबंधित जनपदो में ही किया जाय। स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों को धनराशि उनके वैयक्तिक लेखा खाते के माध्यम से भुगतान की जाय। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुर्नर्विनियोग न किया जाये।

(5) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0–13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(6) सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता ,छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन, वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान/वृद्धावस्था पेंशन एवं इस प्रकार के अन्य मदों के लिए पूर्व वर्षो में स्वीकृत धनराशियां यदि अभी भी पी0एल0ए0/बैंक खातों एवं पोस्ट आफिसों में जमा है तो उनका उपयोग सुनिश्चित करने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत/प्राप्त होने पर ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किया जाये।

यह आदेश वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0 बी–1–951/दस–010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1417(3)/26–3–2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2–महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
3–कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ एवं अन्य समस्त संबंधित कोषाधिकारी,उ0प्र0 द्वारा निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0।
4–वित्त(व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 ।
5–संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0।
6–संबंधित उपनिदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0।
7–निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ/
8–गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव।

शासनादेश सं0—1417(2)/26—3—2010—10(28)/99, दिनांक 26 अप्रैल, 2010 का संलग्नक

अनुदान संख्या—80 आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रूपयों में)

लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि 2010—2011
राजस्व लेखा	
2225— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण—आयोजनेतर	
01— अनुसूचित जातियों का कल्याण—	
277— शिक्षा—	
03— औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन—	
21—छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन—	135
05— अनुसूचित जातियों के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के फलस्वरूप घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु अशासकीय विद्यालयों को अनुदान—	
20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता—	1000
06— चिकित्सा, अभियंत्रण तथा टेक्नोलॉजी विषय में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तकें व उपकरण क्रय हेतु अनावर्ती सहायता—	
21—छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन—	1250
10— अनुसूचित जाति के कक्षा—1 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता—	
1001— राज्य योजना—	
21—छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन—	2044000
13— अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना—	
20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता—	400
15—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को आर्थिक सहायता—	
21—छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन—	3525
19—अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति—	
21—छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन—	1336600
20—मैला उठाने, चमड़ा उतारने जैसे व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के दशमपूर्व कक्षाओं (कक्षा 1 से 10 तक) अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति—	
21—छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन—	31995
योग—277—	3418905

800–अन्य व्यय–	
05–अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता–	
(जिला योजना)	
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–	200000
80–सामान्य–	
102–स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान–	
03–डा0 अम्बेडकर जन्म् शताब्दी फाउण्डेशन की स्थापना–	
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–	140
21–छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन–	600
800–अन्य व्यय–	
03–शैक्षिक कार्यक्रम–	
04–पूर्वदशम कक्षाओं में पढ़ने वाले विमुक्त जातियों के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति/अनावर्ती सहायता–	
(कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए)	
01–राज्य योजना–	
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन–	22750
05–आर्थिक उत्थान–	
03–विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र–	
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन–	35
योग–800	223525
योग–2225–	3642430
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–	
02–समाज कल्याण–	
200–अन्य कार्यक्रम–	
03–आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गो (सामान्य) के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पूर्वदशम–	
(कक्षा 1 से 10 तक) छात्रों को छात्रवृत्ति–	
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन–	883200
05–सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के युवक/ युवतियों के लिए पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण–	
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–	5400
06–सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की पुत्रियों की शादी एवं इलाज हेतु आर्थिक सहायता–	
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–	125000

07–आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गो (सामान्य) के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति– 21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन–	990248
योग–2235–	2003848
योग–2225+2235–	5646278

(रूपये पांच अरब चौसठ करोड़ बासठ लाख अट्हत्तर हजार मात्र)

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव।